भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या-*180
बुधवार, 4 दिसम्बर, 2019/13 अग्रहायण, 1941 (शक)

बेरोज़गारी की समस्या

*180. श्री अश्वनी वैष्णवः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार ने बेरोज़गारी की समस्या से निपटने के लिए हाल ही में क्या कदम उठाए हैं;
(ख) क्या निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी से नौकरियों की संख्या और गुणवत्ता में बढ़ोतरी होने की संभावना है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) एवं (ख): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

*

बेरोज़गारी की समस्या के संबंध में श्री अश्वनी वैष्णव द्वारा पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *180 के भाग (क) एवं (ख) के लिए दिनांक 04.12.2019 को दिए जाने वाले उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क एवं ख): नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने, पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को गति प्रदान करने और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं।

सरकार ने स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है।

सरकार ने राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) परियोजना को कार्यान्वित किया है, जिसमें एक ऐसा डिजिटल पोर्टल शामिल है जो गतिशील, दक्ष एवं सकारात्मक ढंग से योग्यता अनुरूप रोजगार हेतु रोजगार चाहने वालों एवं नियोक्ताओं के लिए एक राष्ट्र-व्यापी ऑनलाइन मंच प्रदान करता है तथा इसमें रोजगार चाहने वालों हेतु आजीविका संबंधी विषय-वस्तु का भंडार है।

स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय देश भर में चार वर्षों अर्थात् 2016-2020 तक 12,000 करोड़ परिव्यय से अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) एवं पूर्व सीखने को मान्यता (आरपीएल) के तहत एक करोड़ व्यक्तियों को कौशल प्रदान कराने के उद्देश्य से प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) 2016-20 नामक एक फ्लैगशीप योजना का कार्यान्वयन कर रहा है।

युवाओं की नियोजनीयता में सुधार करने तथा नियोजन की सुविधा भी प्रदान करने के लिए मंत्रालय/विभाग/राज्य विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास योजनाएं चलाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्द्धन योजना (एनएपीएस) जैसी योजनाएं, जिनमें सरकार शिक्षुओं को देय वृत्तिका के 25 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति करती है, भी रोजगार तक पहुंच प्राप्त करवाने हेतु युवाओं की नियोजनीयता को बढ़ाती हैं।

आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 में यह परिकल्पना की गई है कि निवेश, विशेष रूप से निजी निवेश "प्रमुख संचालक" है जो मांग को संचालित करता है, क्षमता सृजित करता है, श्रम उत्पादकता में वृद्धि करता है, नई प्रौद्योगिकी को आरंभ करता है, सृजनात्मक ध्वंस की अनुमति प्रदान करता है तथा रोजगार सृजित करता है।

*****